निदेशक कैम्प
...र सं० 2439
29/03/19

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3
संख्या– 101 /65–3–2019–78/99 टी0सी0
लखनऊ :: दिनांक 29 मार्च, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–33 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से दिव्यांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह–'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी में पदों के चिन्हांकन एवं समीक्षा हेतु निम्नानुसार एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है :–

1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0शासन। — अध्यक्ष

2 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति) कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा नामित कार्मिक विभाग का कोई विशेष सचिव/संयुक्त सचिव। — सदस्य

3 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा नामित विशेष सचिव/संयुक्त सचिव। — सदस्य

4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति) सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा नामित विशेष सचिव/संयुक्त सचिव या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के प्रतिनिधि जो कम से कम उप निदेशक स्तर के होंगे। — सदस्य

5 राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश — सदस्य

6 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा नामित निम्न श्रेणी की दिव्यांगता से सम्बन्धित एक–एक विशेषज्ञ– — सदस्य

(1) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि,
(2) बधिर और श्रवण शक्ति ह्रांस,
(3) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता,
(4) स्वपरायणता, बौद्विक नि:शक्तता, विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता और मानसिक नि:शक्तता।

......2

u0

7 उपरोक्त चारों श्रेणी की दिव्यांगताओं से जुड़े संगठनों के एक—एक प्रतिनिधि— सदस्य

(1) डॉ0 एस0आर0मित्तल,दृष्टि निःशक्तता, एन0आई0ई0 पी0वी0डी0, देहरादून

(2) डॉ0 रीता अग्रवाल, बौद्विक निःशक्तता, हैण्डीकैप्ड डेवलपमेन्ट कौन्सिल, कमला नगर, आगरा ।

(3) श्री कमला कान्त पाण्डेय, श्रवण निःशक्तता, यू0पी0 इन्स्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैण्डीकैप्ड, जार्ज टाउन, प्रयागराज।

(4) श्री अशोक कुमार, शारीरिक निःशक्तता, सक्षम, अवध प्रान्त,अयोध्या।

8 निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश। सदस्य

9 विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0शासन। सदस्य—सचिव

2— उपरोक्तानुसार गठित विशेषज्ञ समिति निम्नवत् कार्य सम्पादित करेगी :—

(1) क्लासीफिकेशन आफ आक्यूपेशन्स (राज्य) में उपलबध पदों के टाईटिल्स में से सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों में दिव्यांगजनों हेतु पदों का चिन्हांकन।

(2) चिन्हांकित पदों हेतु भौतिक आवश्यकताऐं।

(3) उपरोक्त पदों की दिव्यांगता की श्रेणीवार उपयुक्तता।

(4) अन्य कोई सम्बन्धित विषय।

(5) उक्त समिति चिन्हांकन का कार्य सभी संवर्गों में करेगी।

(6) समिति उक्त कार्य में दिव्यांगता से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं, भारत सरकार से सम्बन्धित विभागों इत्यादि से सहायता, परामर्श इत्यादि भी करेगी।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

......3

uo

Scanned by CamScanner

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(4) विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0शासन।
(5) संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
(7) डा0 एस0 आर0 मित्तल, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (एन0आई0ई0पी0वी0डी0), 116–राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248001
(8) डॉ0 रीता अग्रवाल, हैण्डीकैप्ड डेवलपमेन्ट कौन्सिल, कमला नगर, आगरा।
(9) श्री कमला कान्त पाण्डेय, यू0पी0 इन्स्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैण्डीकैप्ड, जार्ज टाउन, प्रयागराज।
(10) श्री अशोक कुमार, सक्षम, अवध प्रान्त, अयोध्या।
(11) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–1/2
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर यादव)
अनु सचिव।

uo

Scanned by CamScanner